महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिनियम

कई व्यक्ति प्रताड़ित करने वाले संबंधों में बने रहते हैं क्योंकि वे पुलिस को घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करने से डरते हैं या अन्य प्रकार की सहायता मांगने से डरते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिनियम (VAWA) ऐसे घरलू दुर्व्यवहार के पीड़ितों के लिए कानूनी आप्रवासन स्थिति की ओर एक विशेष मार्ग प्रदान करता है, जिन्हें अन्यथा उनके लिए दर्जा हासिल करने की याचिका दायर करने के लिए अपने दुर्व्यवहार करने वालों पर निर्भर रहना पड़ता। VAWA ऐसे दुर्व्यवहार के पीड़ितों को, जो अमेरिकी नागरिकों और कानूनी स्थायी निवासियों के करीबी रिश्तेदार हैं, दुर्व्यवहार करने वाले की जानकारी, सहमति या भागीदारी के बिना, स्वयं दर्जा हासिल करने के लिए फाइल करने की सुविधा देता है (स्वयं-याचिका)। यह मार्ग दुर्व्यवहार करने वाले अमेरिकी नागरिकों और कानूनी स्थायी निवासियों (ग्रीन कार्ड धारकों) के पति/पत्नी और बच्चों, और 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र के दुर्व्यवहार करने वाले अमेरिकी नागरिकों के माता-पिता के लिए उपलब्ध है। ये व्यक्ति कानूनी स्थायी निवासी स्थिति (ग्रीन कार्ड), रोज़गार के अधिकार और सार्वजनिक लाभों के लिए पात्र हो सकते हैं। आवेदक फॉर्म I-360 दायर करके प्रक्रिया शुरू करते हैं।

VAWA प्रावधान लिंग की परवाह किए बिना किसी पर भी समान रूप से लागू होते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया uscis.gov/humanitarian/abused-spouses-children-and-parents पर जाएँ।

गैर-नागरिक पीड़ितों को यह स्थापित करना होगा कि:

- उनका अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक दुर्व्यवहार करने वाले के साथ योग्य संबंध है;
- वे दुर्व्यवहार करने वाले के साथ रहते हैं या रहते थे;
- उनका अच्छा नैतिक चरित्र है; और
- वे मारपीट या अत्यधिक क्रूरता का शिकार हुए हैं।

अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का महत्व

अमेरिकी कानून ऐसे कानूनी और गैर-दस्तावेज़ी गैर-नागरिकों के लिए कई सुरक्षाएं प्रदान करता है जो घरेलू हिंसा या तस्करी सहित अपराध के शिकार हुए हैं। बहुत से व्यक्ति यह रिपोर्ट करने से डरते हैं कि वे अपराध के शिकार हुए हैं आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें चिंता है कि उन्हें अमेरिका से हटाया (निर्वासित) किया जा सकता है।

पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सेवा प्रदाता, जज और प्रॉसीक्यूटर जैसे पेशेवर अक्सर उत्पीड़न के लक्षण देखने वाले सबसे पहले व्यक्ति होते हैं और इसलिए पीड़ितों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष स्थिति में होते हैं। यह ब्रोशर इस प्रयास में अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए तैयार किया गया है।

कुछ अपवादों के अधीन, यू.एस. सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) सहित डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) के भीतर सभी एजेंसियों को कानूनी रूप से यह खुलासा करने से प्रतिबंधित किया गया है कि किसी पीड़ित ने इस ब्रोशर में बताए गए इमीग्रेशन सुरक्षा प्रकारों के लिए आवेदन किया है।

USCIS की वेबसाइट **uscis.gov/humanitarian** के **"Humanitarian"** अनुभाग पर जाएँ

संघीय कानून प्रवर्तन को संदिग्ध मानव तस्करी की रिपोर्ट करने के लिए, HSI टिप लाइन **866-347-2423 (866-DHS-2-ICE)** पर संपर्क करें

नेशनल ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग हॉटलाइन से संपर्क करने के लिए **888-373-7888** पर कॉल करें

U.S. Citizenship and Immigration Services

अपराध पीड़ितों के लिए इमीग्रेशन विकल्प

कानून प्रवर्तन, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और अन्य अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों के लिए जानकारी

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिनियम
T गैर-आप्रवासी स्थिति
U गैर-आप्रवासी स्थिति

U.S. Citizenship and Immigration Services

T गैर-आप्रवासी स्थिति

T गैर-आप्रवासी स्थिति (जिसे T वीज़ा के रूप में भी जाना जाता है) व्यक्तियों की तस्करी (जिसे मानव तस्करी के रूप में भी जाना जाता है) के गंभीर रूप के ऐसे पीड़ितों को अस्थायी इमीग्रेशन सुरक्षा प्रदान करता है जो इस अपराध का पता लगाने, इसकी जांच करने या इस पर मुकदमा चलाने में कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सहायता करते हैं। मानव तस्करी में किसी प्रकार का श्रम या व्यावसायिक यौन कार्य प्राप्त करने के लिए बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती का उपयोग शामिल होता है। यह किसी भी समुदाय में हो सकता है और पीड़ित किसी भी उम्र, जाति, लिंग या राष्ट्रीयता के हो सकते हैं।

T गैर-आप्रवासी स्थिति के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदकों को फॉर्म I-914 दायर करना होगा। आवेदकों को तस्करी के कारण शारीरिक रूप से अमेरिका में उपस्थित होना होगा। T गैर-आप्रवासी स्थिति 4 साल के लिए वैध है और इसे सीमित परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है; प्राप्तकर्ता रोज़गार प्राधिकरण के लिए भी पात्र होते हैं।

यदि वे योग्यता पूरी करते हैं तो T गैर-आप्रवासी अपनी स्थिति को समायोजित करने और वैध स्थायी निवासी बनने (ग्रीन कार्ड प्राप्त करने) में सक्षम हो सकते हैं। परिवार के कुछ विशेष सदस्य भी T गैर-आप्रवासी स्थिति के लिए पात्र हो सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए uscis.gov/humanitarian/victims-of-human-trafficking-t-nonimmigrant-status पर जाएँ।

श्रम तस्करी (जबरन श्रम) बल प्रयोग, धोखाधड़ी या जबरदस्ती के द्वारा श्रम या सेवाओं के लिए किसी व्यक्ति का शोषण है।

यौन तस्करी, बल प्रयोग, धोखाधड़ी या जबरदस्ती द्वारा व्यावसायिक यौन क्रिया के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का शोषण है। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति जिसे व्यावसायिक यौन संबंध के लिए प्रेरित किया जाता है, वह अमेरिकी कानून के तहत यौन तस्करी का शिकार है, भले ही इसमें बल, धोखाधड़ी या जबरदस्ती हो या न हो।

निरंतर उपस्थिति एक अस्थायी इमीग्रेशन स्थिति है जो कानून प्रवर्तन द्वारा तस्करी से गंभीर रूप के पीड़ित के रूप में पहचाने गए ऐसे व्यक्तियों को दी जाती है जो संभावित गवाह हो सकते हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों और दीवानी वकीलों के लिए निरंतर उपस्थिति संसाधन गाइड यहां उपलब्ध है: ice.gov/ContinuedPresenceResourceGuide.

यह अनिवार्य है कि गैर-नागरिक पीड़ित:

- व्यक्तियों की तस्करी के गंभीर रूप का शिकार हो;
- तस्करी के कारण शारीरिक रूप से अमेरिका में उपस्थित हो;
- किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी या अन्य प्रमाणित करने वाले अधिकारी से अपराध का पता लगाने, की जांच करने या पर मुकदमा चलाने में सहायता के लिए किसी भी उचित अनुरोध का अनुपालन करें (या उम्र के कारण छूट या आघात के कारण अपवाद के लिए पात्र हो);
- यदि अमेरिका से हटाया जाता है तो उसे असामान्य और गंभीर क्षति के साथ अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा; और
- अमेरिका में दाखिल होने के योग्य हो या छूट पाने के लिए योग्य हो।

U गैर-आप्रवासी स्थिति

U गैर-आप्रवासी स्थिति (जिसे U वीज़ा के रूप में भी जाना जाता है) अमेरिका में कुछ पात्र आपराधिक गतिविधियों के ऐसे पीड़ितों के लिए अस्थायी इमीग्रेशन सुरक्षा प्रदान करता है जो योग्य आपराधिक गतिविधि का पता लगाने, की जांच करने, या मुकदमा चलाने के लिए प्रमाणित एजेंसियों के सहायक रहे हैं, सहायक बन रहे हैं, या सहायक होने की संभावना है, और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। U गैर-आप्रवासी स्थिति 4 साल के लिए वैध है और इसे सीमित परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है; प्राप्तकर्ता रोज़गार प्राधिकरण के लिए भी पात्र होते हैं। यदि वे योग्यता पूरी करते हैं तो U गैर-आप्रवासी अपनी स्थिति को समायोजित करने और वैध स्थायी निवासी बनने (ग्रीन कार्ड प्राप्त करने) में सक्षम हो सकते हैं। परिवार के कुछ सदस्य भी U गैर-आप्रवासी स्थिति के लिए पात्र हो सकते हैं।

निम्नलिखित पात्र आपराधिक गतिविधियों के पीड़ित* U गैर-आप्रवासी स्थिति के लिए पात्र हो सकते हैं:

- फुसला/धमकाकर भगा ले जाना
- दुर्व्यवहार भरा यौन संपर्क
- बंधक बनाया जाना
- ब्लैकमेल
- घरेलू हिंसा
- जबरन वसूली
- गैरकानूनी कैद
- दुराचारी हमला
- फीमेल जेनिटल म्युटलेशन (महिला जननांग अंग-विच्छेद)
- विदेशी श्रम अनुबंध में धोखाधड़ी
- कौटुम्बिक व्यभिचार
- अनैच्छिक पराधीनता
- अपहरण
- हत्या
- कत्ल
- न्याय में अड़चन
- दास्ता
- झूठी गवाही
- वेश्यावृत्ति
- बलात्कार
- यौन हमला
- यौन शोषण
- गुलामों का व्यापार
- पीछा करना
- यातना
- तस्करी
- गैरकानूनी आपराधिक प्रतिबंध
- गवाह से छेड़छाड़
- अन्य संबंधित अपराध†

** इसमें उपरोक्त में से कोई और अन्य संबंधित अपराध करने का प्रयास, साजिश या आग्रह भी शामिल है।*

† इसमें ऐसी कोई भी गतिविधि शामिल है जहां अपराध के तत्व काफी हद तक समान हों।

U गैर-आप्रवासी स्थिति के लिए याचिका दायर करने के लिए, पीड़ित को फॉर्म I-918 दायर करना होगा। पीड़ित को यह भी सबमिट करना होगा, अपनी याचिका के साथ, प्रमाणित करने वाली एजेंसी के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणीकरण (फॉर्म I-918, पूरक B) भी जमा करना होगा जो यह पुष्टि करता हो कि पीड़ित मामले का पता लगाने, जांच करने या मुकदमा चलाने में सहायक था, सहायक है, या सहायक होने की संभावना है, और वे अन्य पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रमाणित करने वाले अधिकारियों को पता होना चाहिए कि प्रमाणन पर हस्ताक्षर करने से इमीग्रेशन सुरक्षाएं नहीं मिलती हैं — केवल USCIS के पास U वीज़ा याचिका को मंजूरी देने या उसे अस्वीकार करने का अधिकार है।

अधिक जानकारी के लिए uscis.gov/humanitarian/victims-of-criminal-activity-u-nonimmigrant-status पर जाएँ।

यह अनिवार्य है कि गैर-नागरिक पीड़ित:

- अमेरिका में हुई या अमेरिकी कानून का उल्लंघन करने वाली योग्य आपराधिक गतिविधि का शिकार हो;
- ने योग्य आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप पर्याप्त शारीरिक या मानसिक शोषण का सामना किया हो;
- को योग्य आपराधिक गतिविधि के बारे में विश्वसनीय और भरोसेमंद जानकारी हो;
- उस योग्य आपराधिक गतिविधि का पता लगाने, जांच करने और मुकदमा चलाने में कानून प्रवर्तन, प्रॉसीक्यूशन, जजों या अन्य प्रमाणित अधिकारियों के लिए सहायक है, सहायक रहा है, या सहायक होने की संभावना है; और
- अमेरिका में दाखिल होने के योग्य हो या छूट के लिए योग्य हो।

प्रमाणनकर्ताओं के लिए T और U वीज़ा कानून प्रवर्तन संसाधन गाइडें यहां उपलब्ध हैं:

uscis.gov/tools/information-for-certifying-officials-law-enforcement-judges-and-other-agencies

प्रमाणित करने वाले अधिकारियों की हॉटलाइन से संपर्क करने के लिए, 240-721-3333 पर कॉल करें।

यह नंबर केवल प्रमाणित करने वाले अधिकारियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए है। प्रमाणित करने वाले अधिकारी कानून प्रवर्तन अधिकारी, प्रॉसीक्यूटर, जज या किसी कार्यालय या एजेंसी के प्रतिनिधि होते हैं जिन पर योग्य आपराधिक गतिविधि या तस्करी का पता लगाने, की जांच करने या पर मुकदमा चलाने, या अपराधी को दोषी ठहराने या सजा देने की ज़िम्मेदारी होती है।